किशोरी सशक्तिकरण में सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन। (उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के सन्दर्भ में)

सविता

शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ.

Received: August 24, 2018 Accepted: October 17, 2018

ABSTRACT *यह शोध लखनऊ जिले में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का किशोरी सशक्तिकरण में भूमिका के मूल्यांकन से सम्बन्धित है। इस शोध में विभिन्न योजनाओं में नामांकित किशोरियों में क्षमता विकास एवं उनमें सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में 'एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेंट स्केल' का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की गयी है तत्पश्चात इन कार्यक्रमों की सफलता जानने के लिए 200 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है प्राप्त जानकारी का सारणीकरण कर सांख्यिकी आधार पर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का कार्य किया गया है।*

Keywords: ***किशोरी सशक्तिकरण, क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाएं, क्षमता विकास, सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता***

प्रस्तावना– विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और उनमें से ज्यादा संख्या किशोरों की है जिनमें किशोरियों की संख्या पूरी संख्या का 1/5 है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान इन्ही के विकास पर देना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10–19 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को किशोरी के रूप में परिभाषित किया है, यह वह समय है जब किशोरियों को सबल बनाना हमारे सतत विकास का एक हिस्सा है। किशोरी बालिकाएं अपने आप की देखभाल में सफल हो सके इसलिए उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता का विकास करना जरूरी है ताकि वह अपना स्वस्थ भविष्य निर्माण कर सकें।

सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है यह एक ऐसी मानसिक व्यवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवयश्क कानूनों सुरक्षात्मक प्रविधानों और उनके भली–भाँति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होती है। भारत के संदर्भ में इसे स्वस्थ आर्थिक विकास, शिक्षा व कानूनी अधिकार देने से देखा जाता है । किशोरी सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हों और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके। सर्वविदित है कि एक महिला ही राष्ट्र निर्माता होती है वह देश के विकास की गति को तेज करने की क्षमता रखती है। लेकिन सर्वप्रथम इनके आधार भूत जीवन का विकास आवश्यक है। यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण पोषाहार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, नीतिनिर्माण, निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लेने के अवसर दिये जाये ताकि एक स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक किशोरी आगे जाकर अपने परिवार समाज व देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। उसकी नैसर्गिक प्रतिभा कला कौशल सामार्थ्य रूचि जागरूकता को उजागर करने के लिए उसे सशक्तिकरण के माध्यम से विकास के उचित अवसर प्रदान करना अति आवश्यक हैं।

किशोरियों के लिए चलायी जा रही योजनाएं– सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम व योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जैसेः– बालिका समृद्धि योजना, निशुल्क बालिका शिक्षा (इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना), बालिका प्रोत्साहन योजना, धन लक्ष्मी योजना, किशोरी शक्ति योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आदि।
प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा किशोरी शक्ति योजना एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना पर कार्य किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना–वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया गया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है– पहली योजना 'गर्ल टू गर्ल एप्रोच' तथा दूसरी योजना 'बालिका मंडल योजना'। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है। बाद में इस स्कीम का नया नाम **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला)** कर दिया गया। भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरूवात 2010–11 में की। किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।, स्वास्थ्य सफाई , पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए0 आर0 एस0 एच0) और परिवार एवं बाल देख–रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना।, उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों का उन्नयन करना, एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना।, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डाक घर बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके अर्न्तगत 11–18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है। यह स्कीम 200 चुनिंदा जिलों में किशोरी शक्ति योजना (के0 एस0 वाई0) तथा किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम (एन0 पी0 ए0 जी0) की जगह लेगी और शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना का कार्यान्वयन (जहां पहले से प्रचलित हो) जारी रहेगा। इस स्कीम राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम– सबला का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केंद्रो के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मच का उपयोग करते हुए किया जायेगा।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय– कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग की उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्राविधान है। इस योजना के अर्न्तगत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यककी बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ उत्तर प्रदेश में 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत एक अलग अवयव की तरह चलाई जा रही है। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में चलाई जा रही है। इन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखकर की जाएगी–

1. ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजाति समुदाय की सघनता हो/ निम्न स्त्री साक्षरता/ वृहद रूप में विद्यालय से बाहर बालिकाओं की संख्या हो।

2. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक समुदाय की सघनता/निम्न स्त्री साक्षरता एवं वृहद रूप में विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं की संख्या।
3. ऐसे क्षेत्र जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहाँ छोटी–छोटी तथा फेली हुई बस्तियाँ हों तथा जहाँ मानक के अनुसार नए स्कूल की स्थापना नहीं की जा सकती है।
5. उक्त मानकों के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े 316 विकास खण्ड हैं, जहाँ महिला साक्षरता की दर 30 प्रतिशत से कम है तथा 94 कस्बें/शहर जो अल्प संख्यक बाहुल्य है तथा जहाँ महिला शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत से कम है, में भी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित किये जाएँगे।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अविवंचित समुदाय के बीच शिक्षा में जेण्डर गैप अभी भी विद्यामान है। नामांकन के आँकड़ों से पता चलता है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर विशेष रूप से उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लड़कियों एवं लड़कों के नामांकन में उल्लेखनीय अन्तर है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य अविवंचित वर्ग की लड़कियों की पहुँच गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित कर सुनिश्चित करना है जिसके फलस्वरूप उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत 380 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित किये गये हैं एवं प्रत्येक विद्यालय को रू0 19.05 लाख अनावर्तक तथा रू0 26.2 लाख आवर्तक अनुदान स्वरूप आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु दिये गये। प्रारम्भ में यह विद्यालय किराये के भवन अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त भवनों में चलाई जाए तथा इनकी स्थापित वैसे विकास खण्ड में की जाएगी जहाँ किसी भी योजना के अर्न्तगत आवासीय विद्यालय उपलब्ध न हों।

उद्देश्य

1. कस्तूरबा गाँधी विद्यालय व किशोरीशक्ति योजना में सम्मिलित किशोरियों में क्षमता विकास का अवलोकन करना
2. कस्तूरबा गाँधी विद्यालय व किशोरीशक्ति योजना में सम्मिलित किशोरियों में सामाजिक, कानूनी व राजनैतिक जागरूकता विश्लेषण करना।
3. दोनों योजनाओं में सम्मिलित किशोरियों में सशक्तिकरण के स्तर का मूल्यांकन

शोध प्रविधि

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया है और यह अध्ययन किशोरी सशक्तिकरण में सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन पर आधारित है। जिनमें उन किशोरियों को सम्मिलित किया गया है जो इन योजनाओं में नामांकित है, विशेषकर दो योजनाओं का चुनाव किया गया है– 1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2. किशोरी शक्ति योजना/सबला (लखनऊ)

दोनों योजनाओं से 200 किशोरियों का चयन किया गया है। अध्ययन में 'वर्णात्मक' अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया गया है इसके लिए 11 से 18 वर्ष की 200 उत्तरदाता किशोरियों का चयन किया गया है जो कि इन दोनों योजनाओं में नामांकित है। इस अध्ययन में स्ट्रटी फाइड प्री–टेस्टेड Adolescent Girl Empowerment Scale का प्रयोग किया गया है। क्षमता विकास एवं सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित 7 कथन है जिन पर किशोरियों की प्रतिक्रिया ली गयी है। इसके लिए 5 विकल्प निर्धारित है जिनके आधार पर इसका मूल्यांकन (Scoring) किया गया है। इसी के आधार पर किशोरियों में सशक्तिकरण के उच्च, मध्यम, और निम्न स्तर का मापन किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हुये शोध से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की गयी है, आंकडों का संग्रहण (विश्लेषण) सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञात किया गया है।

प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों का सारणीकरण किया गया है सशक्तिकरण के दो क्षेत्रों क्षमता विकास एवं सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न कथनों को सारणी संख्या 1.1 से 1.13 तक दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.1 क्षमता विकास

मैं जानती हूँ कि अपने आर्थिक सशक्तिकरण हेतु में कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ एवं उसे करने की योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता=200)	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	12	6.0%
2. असहमत	45	22.5%
3 न सहमत न असहमत	31	15.5%
4. सहमत	49	24.5%
5 पूर्ण सहमत	63	31.5%

इस सारणी में क्षमता विकास से सम्बन्धित इस क्षेत्र के कथन पर 31.5% किशोरियों ने पूर्ण सहमति व्यक्त की कि व अपने सशक्तिकरण के लिए कोई भी व्यवसाय शुरू करने की योग्यता रखती हूँ तथा 6% किशोरियों ने इसे पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.2 क्षमता विकास

मैं आर्थिक रूप से सम्पन्न होने हेतु स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक रोजगार को शुरू करने की योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	36	18.0%
2.असहमत	29	14.5%
3 न सहमत न असहमत	37	18.5%
4. सहमत	49	24.5%
5 पूर्ण सहमत	49	24.5%

इस सारणी में क्षमता विकास से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 24.5% ने पूर्ण सहमति तथा इतनी ही किशोंरियों सहमति व्यक्त की कि वह वैकल्पिक रोजगार को शुरू करने की योग्यता रखती है। तथा 14. 5% ने इससे असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.3 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के के सार्वजनिक स्थान पर अपरिचित लोगों से बात करने की क्षमता रखती हूँ।	**उत्तरदाता=200)**	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	16	8.0%
2. असहमत	27	13.5%
3 न सहमत न असहमत	24	12.0%
4. सहमत	57	28.5%
5 पूर्ण सहमत	76	38.0%

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 38% किशोरियों ने पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के सार्वजनिक स्थान पर अपरिचित लोगों से बात करने की क्षमता रखती हैं तथा 8% किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.4 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के लड़कों से भी बात कर सकती हूँ।	**उत्तरदाता=200**	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	19	9.5%
2. असहमत	22	11.0%
3 न सहमत न असहमत	40	20.0%
4. सहमत	55	27.5%
5 पूर्ण सहमत	64	32.0%

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनो ंसमूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 32% किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के लड़कों से भी बात कर लेती है तथा केवल 9.5% ने इस पर अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.5 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के अपने साथी समूहों के अधिकारों की चर्चा करने की क्षमता रखती हूँ।	**उत्तरदाता=200**	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	18	9.0%
2. असहमत	14	7.0%
3 न सहमत न असहमत	28	14.0%
4. सहमत	54	27.0%
5 पूर्ण सहमत	86	43.0%

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिस पर लखनऊ की 43% किशोरियों ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के अपने साथी समूहों के अधिकारों की चर्चा करने की क्षमता रखती है तथा केवल 7 ने इस बात पर असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.6 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के होने वाले विभिन्न अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	16	8.0%
2. असहमत	23	11.5%
3 न सहमत न असहमत	32	16.0%
4. सहमत	63	31.5%
5 पूर्ण सहमत	66	33.0%

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया है जिस पर लखनऊ की 33 किशोरियों ने इस पर पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के होने वाले अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखती है वही 8 ने इससे पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.7 क्षमता विकास

अपनी उम्र के अनुसार मैं हर कार्य करने का कौशल, आत्मविश्वास व योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	8	4.0%
2. असहमत	9	4.5%
3 न सहमत न असहमत	15	7.5%
4. सहमत	67	33.5%
5 पूर्ण सहमत	101	50.5%

इस सारणी में 50.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि वह अपनी उम्र के अनुसार प्रत्येक कार्य करने का कौशल, आत्मविश्वास व योग्यता रखती हैं जबकि 4 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहति व्यक्त की है।

सारणी संख्या 1.8 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मैं अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	37	18.5%
2. असहमत	29	14.5%
3 न सहमत न असहमत	30	15.0%
4. सहमत	53	26.5%
5 पूर्ण सहमत	51	25.5%

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 25.5 किशोरियों द्वारा सहमति व्यक्त की कि वह अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानती हैं।

सारणी संख्या 1.9 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

रजिस्टर्ड विवाह क्या होता है, इसकी मुझे जानकारी है।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	44	22.0%
2. असहमत	31	15.5%
3 न सहमत न असहमत	47	23.5%
4. सहमत	52	26.0%
5 पूर्ण सहमत	26	13.0%

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। जिसमें लखनऊ की 26% किशोरियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की वही 13% ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.10 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

उत्तराधिकार क्या होता है उसके क्या कानून हैं मुझे जानकारी है।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	28	14.0%
2. असहमत	37	18.5%
3 न सहमत न असहमत	34	17.0%
4. सहमत	63	31.5%
5 पूर्ण सहमत	38	19.0%

इस सारणी में सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वरा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 31.5 प्रतिशत किशोरियों ने इससे सहमति व्यक्त की कि उन्हें उत्तराधिकार कानून की जानकारी है।

सारणी संख्या 1.11 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

युवाओं में होने वाली नशीली दवाओं की लत की जानकारी मुझे है।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	32	16.0%
2. असहमत	37	18.5%
3 न सहमत न असहमत	38	19.0%
4. सहमत	37	18.5%
5 पूर्ण सहमत	56	28.0%

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 28 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की वही 16 प्रतिशत ने इस पर अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.12 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मुझे परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण ज्ञान है।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	10	5.0%
2. असहमत	19	9.5%
3 न सहमत न असहमत	16	8.0%
4. सहमत	77	38.5%
5 पूर्ण सहमत	78	39.0%

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 39 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की वही केवल 5 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.13 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मैं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिये मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों के अनुसार सहायक/विकल्प व्यवसायों की भी जानकारी रखती हूँ।	उत्तरदाता=200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	36	18.0%
2. असहमत	41	20.5%
3 न सहमत न असहमत	42	21.0%
4. सहमत	37	18.5%
5 पूर्ण सहमत	44	22.0%

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानून जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दानों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें लखनऊ की 22 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों के अनुसार सहायक विकल्प व्यवसायों की भी जानकारी रखती है वही केवल 18 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहमति व्यक्त की।

उपसंहार

किशोरियों के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ये योजनाएं किशोरियों में क्षमता निर्माण व सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता को भी बढ़ा रही है प्रस्तुत अध्ययन में इन योजनाओं में सम्मिलित किशोरियों का एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेंट स्केल द्वारा इनके सशक्तिकरण स्तर का मापन किया गया है जिसमें लखनऊ की 65.5 प्रतिशत किशोरियों का सशक्तिकरण का स्तर उच्च पाया गया है। 37.5 प्रतिशत किशोरियों का सशक्तिकरण का स्तर मध्यम पाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं में सम्मिलित किशोरियां कानूनी जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता व सामाजिक जागरूकता रखती है इसके अतिरिक्त उनमें क्षमता विकास भी पाया गया। किशोरियां आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यवसायों की जानकारी और उन्हें करने की योग्यता रखती है। उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की भी जानकारी है। इन योजनाओं में उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की जानकारी दी जाती है व प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वह भविष्य में अपनी जीविकापार्जन आसानी से कर सकती है। इसके अतिरिक्त इन योजनओं द्वारा उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी वजह से वे बिना भय के कहीं भी आ जा सकती है। किसी से भी बिना झिझक आसानी से बात कर सकती है। अपने अधिकारो की जानकारी होने से वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। बात कर सकती है। दूसरों के अधिकारों के लिए भी अपना योगदान कर सकती हैं। अपने तथा दूसरों के प्रति होने वाले अन्यायों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं किशोरियां अपनी आयु के अनुसार प्रत्येक कार्य करने की योग्यता रखती है व कर सकती है। किशोरियों को युवावस्था में होने वाली विभिन्न गलत आदतों नशीली दवाओं की जानकारी रखती है। जिससे वह अपना व अपने परिवार का बचाव इनसे कर सकती है व समाज को इनके बुरे परिणामों के प्रति जागरूक कर सकती है। पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें अपने को स्वस्थ रखना भी सिखाया जाता है कहा जा सकता है कि ये योजानाएं किशोरियों का सशक्तिकरण करने में मदद कर रही है और अपने उद्देश्यों में भी सफल हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. ओलाडिपो एस. ई –साइकोलॉजिकल इम्पावरमेन्ट एन्ड डेवलपमेन्ट
2. करूना 2012– इम्पावरिंग एडोलसेन्ट गर्ल्स
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका 2006
4. चन्द्रा आर. – वुमेन इम्पावरमेन्ट इन इण्डिया माइलस्टोन्स एण्ड चैलेन्जर्स
5. डब्लू. निक.इन/स्कीम सबला.एचटीएम
6. डब्लू. डब्लू. डब्लू.भारत.जीवोओ.इन
7. डब्लू. डब्लू. डब्लू.यूपी.जीवोओ.इन
8. प्लानिंग कमीशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया : रिपोर्ट आफ इण्डिया द वर्किंग ग्रुप ऑन एडोल्सेन्ट फार द टेन्थ फाइव इयर प्लान
9. योजना पत्रिका 2010
10. सुषमा के.– एडोल्सेन्ट हेल्थ प्रोग्राम्स इन इण्डिया
11. श्रीवास्तव डी. एन. वर्मा पी. – बाल मनोविज्ञान : बाल विकास 14वां संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर